राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1042/2025

सुरेन्द्र जाट

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	20.01.2025
आदेश की दिनांक	:	18.02.2025

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से	: श्री नीरज कुमार यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, अरणियाली, बाड़मेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जैसलमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी गर्भवती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण 250 किमी. दूर किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के

विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष